केन्द्रीय विद्यालय संगठन
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून संभाग
सालावाला, हाथीबड़कला, देहरादून (उत्तराखण्ड)
वेबसाइट– https://rodehradun.kvs.gov.in
दूरभाष: 0135-2749510 (DC)/2743192 (AC)/ 2746371 (AO)

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
(An Autonomous Body under Ministry of Education, GOI)
Regional Office, Dehradun Region
Salawala, Hathibarkala, Dehradun (UK)
E-Mail : ackvsroddr@gmail.co, acacadkvsroddr@gmail.com, aokvsroddr@gmail.com, aaokvsroddr@gmail com

फ. 18095/2020/के.वि.सं/डी.डी.आर./प्रशा. दिनांक : 26.08.2025

निविदा आमंत्रण

केंद्रीय विद्यालय संगठन,क्षेत्रीय कार्यालय, सालावाला, हाथीबड़कला, देहरादून के लिए प्रतिष्ठित टैक्सी सेवा प्रदाताओं द्वारा किराये की टैक्सी / कार सेवाएं प्रदान करने हेतु निविदा

सूची

अनुभाग	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय -1 निविदा प्रक्रिया की अनुसूची	2
2.	अध्याय -2 निविदाकारों के लिए कार्य का दायरा और सामान्य निर्देश	3
3.	अध्याय -3 पात्रता मानदंड	4
4.	अध्याय -4 नियम और शर्तें	5-7

अनुलग्नक

क्रम संख्या	नाम	पृष्ठ संख्या
अनुलग्नक-1	तकनीकी बोली के लिए प्रोफार्मा	8
अनुलग्नक-2	वित्तीय बोली के लिए प्रोफार्मा	9
अनुलग्नक-3	निविदा स्वीकृति पत्र	10

अध्याय – 1

<u>निविदा प्रक्रिया का कार्यक्रम</u>

a) सीलबंद निविदाओं के माध्यम से दो बोली प्रणाली के अंतर्गत निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं । केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में आधिकारिक उपयोग के लिए वाणिज्यिक वाहन (पेट्रोल/डीजल) उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिष्ठित टैक्सी सेवा प्रदाताओं द्वारा किराये की टेक्सी / कार सेवाएं प्रदान करने के लिए तकनीकी बोली और वित्तीय बोली आमंत्रित की जाती है | यह निविदा एक वर्ष की अवधि (01) के लिए अनुबंध के आधार पर आमंत्रित की जाती है | इस अनुबंध को आगे दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है । एक बार में यह अनुबंध एक वर्ष के लिए समान नियम और शर्तों पर आपसी सहमति / समझौते के अधीन और संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर बढाया जाएगा |

b) निविदा दस्तावेज केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की वेबसाइट - "http: /rodehradun.kvs.gov.in" से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा दो बोली प्रणाली के तहत स्वीकार किये जायेंगे। इच्छुक सेवा प्रदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में तकनीकी और वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करें – (1) "किराये की टैक्सी / कार सेवाएं प्रदान करने के लिए तकनीकी बोली" (2) "किराये की टैक्सी / कार सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय बोली"। दोनों सीलबंद लिफाफों को तीसरे बड़े सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए | तीसरे सीलबंद लिफ़ाफ़े पर स्पष्ट शब्दों में "किराये की टैक्सी / कार सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए | यह निविदाएँ केवल पंजीकृत पोस्ट / स्पीड पोस्ट के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, सालावाला, देहरादून (उत्तराखंड) 248001 को दिनांक **<u>17.09.2025 अपराह्न 17:00 बजे</u>** तक मिल जानी चाहिएं | किसी अन्य माध्यम से भेजी गयी निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह निविदाएँ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक **<u>18.09.2025 को प्रात:11:00 बजे</u>** खोली जायेंगी।

c) फर्मों को अग्रिम धनराशि के रूप में रू० 5000 / - (रुपये पांच हजार मात्र) जमा करना होगा | यह अग्रिम धनराशि "उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून " (DC, KVS, RO, Dehradun payable at Dehradun) के पक्ष में डीडी के माध्यम से जमा करवाई जायेगी| यह धनराशि निविदाओं का चयन नहीं होने/अस्वीकार होने की स्थिति में फर्म को वापिस लौटा दी जायेगी | सेवाएं प्रदान करने में विफलता की स्थिति में फर्म की अग्रिम धनराशि, राशि जब्त कर ली जाएगी। चयनित फर्म को रू० 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की राशि डिमांड ड्राफ्ट, निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) के रूप में जमा करनी होगी | निविदा की स्वीकृति की स्थिति में, अग्रिम धनराशि (earnest money) को निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) में समायोजित किया जाएगा ।

नोट: यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी उचित रूप में नहीं पाया जाता है या निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो बोलीदाता को अमान्य माना जाएगा|

अध्याय – 2

कार्य का दायरा और निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश

1. केन्द्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, उत्तराखंड को किराया आधार पर पेट्रोल / डीजल, वाणिज्यिक टैक्सी / कार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित, सुस्थापित और वित्तीय रूप से सशक्त टैक्सी सेवा प्रदाताओं (आगे से सेवा प्रदाताओं के रूप में संदर्भित) की सेवाओं की आवश्यकता है।

2. अनुबंध (01) एक वर्ष के लिए प्रदान किया जायेगा जोकि अनुबंध देने की तिथि से प्रारंभ होगा। हालांकि, अनुबंध को कार्य की समीक्षा के बाद, एक बार में एक वर्ष की अवधि (एक-एक वर्ष के अधिकतम दो विस्तारों तक) के लिए आपसी सहमति पर, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुबंध को स्पष्ट रूप से बढ़ाया जा सकता है।

3. इच्छुक सेवा प्रदाताओं को स्पीड पोस्ट / पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से आवश्यक पैकेट / कवर सामग्री के अनुसार निविदाएं प्रस्तुत करनी होंगी |

4. फर्मों को अग्रिम धनराशि के रूप में रू० 5000 / - (रुपये पांच हजार मात्र) डी.डी. के माध्यम से "उपायुक्त , के.वि.सं.,क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून" (D.C. K.V.S. R.O. Dehradun payable at Dehradun) के पक्ष में जमा करवाने होंगे | यह धनराशि निविदा स्वीकार ना किये जाने की स्थिति में वापस कर दी जायेगी | यदि अग्रिम धनराशि जमा नहीं करवाई गयी है, तो निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। सेवाओं को प्रदान नहीं करने की स्थिति में जमा करवाई गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी|

5. सफल निविदाकर्ता को रू० 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट, निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) के रूप में जमा करनी होगी | निविदा की स्वीकृति की स्थिति में, अग्रिम धनराशि (earnest money) को निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) में समायोजित किया जाएगा।

6. सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें पूरे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7. निविदा प्रपत्र में सभी प्रविष्टियाँ सुपाठ्य और स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए। यदि सूचना प्रविष्ट करने के लिए स्थान अपर्याप्त है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक और शीट विधिवत संलग्न की जा सकती है। तकनीकी बोलियों अथवा वित्तीय बोलियों में से किसी में भी परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। किसी भी स्थिति में वित्तीय बोली के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

8. बोली लगाने वाली फर्म को इस आशय का एक स्व प्रमाण पत्र देना होगा कि उसे किसी केन्द्रीय मंत्रालय / राज्य सरकार/ विभाग , सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या बैंकों आदि द्वारा ब्लैकलिस्ट (प्रतिबाधित) नहीं किया गया है | इस प्रमाण पत्र को निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है | यदि बाद में यह पाया जाता है कि बोली लगाने वाली फर्म ने किसी प्रकार की झूठी जानकारी अथवा तथ्य दिए हैं या तथ्यों की सही जानकारी नहीं दी है अथवा दस्तावेजों में हेराफेरी की है तो अग्रिम धनराशि (earnest money) अथवा निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त कर ली जायेगी तथा इस विषय में किसी भी दिए गए कारण को स्वीकार नहीं किया जाएगा |

9. किसी भी बोली लगाने वाली फर्म को केविसं , क्षेत्रीय कार्यालय , देहरादून में निविदा प्राप्त करने के बाद अपनी बोली वापस लेने की अनुमति नहीं होगी | यदि कोई फर्म निविदा प्रदान किये जाने के बाद अपनी बोली को वापिस लेने का निश्चय करती है तो उसके द्वारा जमा की गयी अग्रिम धनराशि (ई.एम्.डी.) जब्त कर ली जायेगी |

10. अनुबंध प्रदान किये जाने के उपरांत, यदि सफल निविदाकर्ता आवश्यक वाहन सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है तो अनुबंध को रद्द कर दिया जाएगा तथा साथ ही अग्रिम धनराशि (earnest money)/ निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) को जब्त करने के अलावा फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा |

11. उस स्थिति में, जहाँ दो अथवा दो से अधिक फर्मों द्वारा निविदा में दी गयी दरें समान पाए जाते हैं तो पिछले तीन वितीय वर्षों के दौरान उच्च औसत टर्नओवर वाली फर्म को निविदा के अन्य नियम और शर्तों के साथ निविदा के लिए योग्य माना जाएगा |

12. यदि दो या दो से अधिक फर्मों द्वारा अंकित दरें अलग-अलग मदों (स्थानीय और बाहरी यात्रा) में अलग-अलग पायी जाती हैं, तो अनुलग्नक 2 के कॉलम (झ) में सबसे कम कुल योग (जी.एस.टी. सहित) अंकित करने वाली फर्म को पात्र माना जाएगा और इस फर्म को सभी मदों की L-1 दरों को स्वीकार करना होगा |

अध्याय - 3

पात्रता मापदंड

1. फर्म के पास पिछले 3 वर्षों के दौरान रु. 10,00,000/- (रुपए दस लाख मात्र) प्रतिवर्ष का औसत वार्षिक कारोबार (टर्नओवर) होना चाहिए, इसकी गणना पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के आधार पर की जायेगी | तकनीकी बोली के साथ चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र और बैलेंस शीट को संलग्न किया जाना चाहिए।

2. फर्म के पास सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ अर्ध सरकारी / स्वायत्त निकायों आदि कार्यालयों में वाहन / टैक्सी प्रदान करने के व्यवसाय में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

3. फर्म के पास कम से कम 3 वाहन होने चाहिए | आवश्यक प्रकार के वाणिज्यिक वाहन जैसे मारुति सुज़ुकी सियाज़, डिजायर, एमेज, होंडा सिटी, ह्युंडई वर्ना या इसके समकक्ष / इनोवा, एक्सयूवी-500, स्कॉर्पियो, टाटा हेक्सा या इसके समतुल्य जो कि फर्म के नाम पर अथवा फर्म के मालिक के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए | यह पंजीकरण 2022 अथवा उसके बाद में होना चाहिए | ऐसा ना होने पर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा | पंजीकृत वाहनों के आर.सी. की प्रतियां तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिएँ |

4. अनुभव प्रमाण पत्र, आपूर्ति पत्र फिटनेस प्रमाण पत्र और प्रदर्शन प्रमाण पत्र को तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

5. फर्म के पास (1) जीएसटी नंबर और (1) पैन नंबर भी होना चाहिए | जीएसटी नंबर और पैन नंबर की प्रतियां भी तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

6. बोली लगाने वाले फर्म द्वारा अपने लेटर हेड से एक शपथ –पत्र जो यह घोषणा करता हो कि फर्म को किसी भी केंद्रीय सरकारी विभाग / मंत्रालय / पीएसयू बैंक, या राज्य सरकार आदि द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, को बोली दस्तावेजों के साथ अवश्य संलग्न किया जाना चाहिए ।

अध्याय - 4

नियम और शर्तें

1. इसी तरह के कार्य की परिभाषा: शब्द "समान काम" अथवा “इसी तरह के कार्य” सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध सरकारी/स्वायत्त निकायों आदि को वाणिज्यिक वाहन प्रदान करने में अनुभव को परिभाषित करेगा |

2. केन्द्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को टैक्सी / कार सेवाओं की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए जिन वाहनो की आवश्यकता हैं, वे हैं - मारुति सुज़ुकी सियाज़, डिजायर, अमेज़, हौंडा सिटी, ह्युंडई वर्ना या इसके समकक्ष / इनोवा, एक्सयूवी -500, स्कॉर्पियो, टाटा हेक्सा या इसके समकक्ष। वाहन को किराए पर दिए जाने वाहन का प्रकार/प्रकार का चयन, केविसं क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के विवेकाधिकार पर होगा | यह वाहन 2022 से पहले पंजीकृत नहीं होना चाहिए।

3. सरकार द्वारा वाहनों के लिए समय –समय पर अधिसूचित सभी नियमों और विनियमों के कड़ाई से पालन के लिए अनुबंधित फर्म पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।

4. अनुबंधित वाहन के लिए कोई भी डेड माइलेज नहीं होगा। वाहन चलाने और ड्यूटी के समय के उद्देश्य के लिए किलोमीटर की गणना हेतु वाहन के प्रारम्भिक बिंदु पर ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग स्थान से माना जाएगा। लंच / ब्रेकफास्ट के लिए या पेट्रोल / डीजल आदि भरवाने के लिए कोई माइलेज शुल्क नहीं दिया जाएगा।

5. वाहन बहुत अच्छे होने के साथ-साथ उत्तम कार्य करने की स्थिति में होने चाहिए और अनुबंध अवधि के दौरान इसका रखरखाव अच्छी तरह से किया जाना चाहिए । आपूर्ति किये गए वाहनों में से कोई भी 2022 से पहले पंजीकृत नहीं होना चाहिए। तकनीकी बोली केवल आवश्यक वर्ग के वाणिज्यिक वाहनों की आर.सी. की प्रतियों के साथ संलग्न होनी चाहिए।

6. फर्मों को सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ अर्ध सरकारी / स्वायत्त निकायों आदि में वाणिज्यिक वाहन प्रदान करने के व्यवसाय में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और इसका वार्षिक कारोबार पिछले तीन वर्षों में 10 लाख या उससे अधिक होना चाहिए | निविदा दस्तावेजों के साथ अनुभव, फिटनेस और प्रदर्शन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

7. फर्म के पास मारुती सियाज़, डिजायर, अमेज, हौंडा सिटी, हुंडई वेरना अथवा इसके समकक्ष / इनोवा, एक्सयूवी -500, स्कार्पियो, टाटा हेक्सा या इसके समतुल्य वाहन होने चाहिए | ये वाहन 2022 या इसके बाद पंजीकृत होने चाहिए | पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। ये वाहन फर्म या फर्म के मालिक के नाम पर पंजीकृत होने चाहिए।

8. आपूर्ति किए गए वाहन उत्कृष्ट स्थिति में यंत्रवत् होने के साथ-साथ दिखावट में भी अच्छे होने चाहिएं | अर्थात बाहरी बनावट/अन्य सामग्री इत्यादि अच्छी दिखावट के साथ होने चाहिए |

9. मालिक / फर्म कम से कम समय के नोटिस पर वाणिज्यिक वाहनों की आपूर्ति करने की स्थिति में होना चाहिए।

10. वाहन के ड्राइवर, पेशेवर ड्राइवर होना चाहिए और विशेष रूप से उत्तराखंड के मार्गों के साथ पूरी तरह से परिचित एवं निपुण होना चाहिए | ड्राइवर के नाम पर वाणिज्यिक वाहनों को चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर हमेशा शालीन और औपचारिक कपड़ों में होने चाहिए | ड्राइवरों को स्थानीय भाषाओं को बोलने में निपुणता एवं दक्षता होनी चाहिए | वाहन चालाक को व्यवहारसिद्ध, विनम्र, अच्छे आचरण वाला होना चाहिए | ड्राइवर को हमेशा अपने साथ एक मोबाइल फोन रखना चाहिए। उपर्युक्त शर्त के अनुसार या ड्राइवर की ओर से दुर्व्यवहार/प्रतिकूल होने की स्थिति में केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून फर्म पर उचित जुर्माना लगा सकता है |

11. मालिक / फर्म को वाहन के टूटने/ अथवा खराब होने की अवस्था में अतिरिक्त वाहन प्रदान करने की स्थिति में होना चाहिए।

12. आपूर्ति किए गए वाहन के टूटने की स्थिति में फर्म द्वारा सभी खर्चों को वहन किया जाएगा। वाहन के ख़राब होने की स्थिति में तत्काल प्रतिस्थापन प्रदान करना होगा |

13. यदि कार्यालय को वाहन की आवश्यकता है और वह नियत समय पर नहीं पहुंचता है, तो केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून बाजार से दूसरे वाहन को बुलाने के लिए स्वतंत्र होगा और इस खाते के खर्चों को लंबित बिलों / सिक्योरिटी आदि के मदों में से कटौती की जाएगी। इस प्रकार की हर चूक के लिए रु० 500 / - का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

14. मालिक / फर्म को अपने स्वयं के टेलीफोन/मोबाइल पर चौबीसों घंटे उपलब्ध होना चाहिए, ताकि आपातकालीन स्थिति में वाहन का प्रबंध किया जा सके। फर्म मालिक को अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी देना होगा। फर्म को आवश्यकता पड़ने पर छुट्टियों / रविवार को भी वाहन उपलब्ध कराना होगा |

15. मरम्मत / सर्विसिंग, ड्राइवर का वेतन, पेट्रोल / डीजल खर्च, किराए पर कार के संचालन और रखरखाव पर कोई अन्य आकस्मिक खर्च, फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।

16. फर्म द्वारा कार का समस्त/सभी प्रकार का बीमा किया जाएगा। किसी दुर्घटना या चोरी आदि के मामले में, इससे उत्पन्न होने वाले सभी दावे एजेंसी द्वारा वहन किये जायेंगे और इस प्रकार के किसी भी मामले में केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून उत्तरदायी नहीं होगा।

17. आवश्यकता पड़ने पर वाहन व चालक दोनों केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के कार्य के लिए उनको सौंपे जायेंगे। केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों, सामग्री आदि को ले जाने के लिए किसी भी तरीके से किराए की टैक्सी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा और फर्म को इस पर कोई आपत्ति दर्ज करवाने का अधिकार नहीं होगा।

18. अनुबंध की समयावधि के दौरान उत्पन्न होने वाले सभी वाद-विवाद का निर्णय देहरादून के न्यायाधिकार क्षेत्र में होगा।

19. निविदाकर्ता सिर्फ दिए गए प्रोफार्मा में अपनी बिना शर्त की दरों को नियमानुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

20. किसी भी मामले में फर्म को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

21. फर्म, सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिदिन विधिवत ड्यूटी पर्चियां प्राप्त करेगा अथवा दैनिक लाग बुक में संबंधित अधिकारियों से विधिवत हस्ताक्षर करवाएगा।

22. महीने के पूरा होने के बाद टैक्सियों/वाहनों के बिल जमा किए जाएंगे। हस्ताक्षरित ड्यूटी पर्चियों के साथ किसी भी महीने वाणिज्यिक वाहनों की आपूर्ति के लिए बिल और अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित लॉग बुक की प्रतियां अगले महीने के पहले सप्ताह में केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को प्रस्तुत की जाएंगी।

23. फर्म यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन और चालक सामान्य रूप से बदले न जाएँ। वाहनों और ड्राइवरों को बार-बार परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

24. केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून किसी भी चालान, हानि, क्षति या दुर्घटना अथवा किसी अन्य वाहन या दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा । ऐसी कोई भी घटना होने पर ट्रांसपोर्टर फर्म केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को लिखित में सूचित करेगा और केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की सेवा करने वाले वाहन को तुरंत बदल देगी।

25. ड्यूटी पर रिपोर्ट करने में देरी होने की अवस्था में रु० 50 / - प्रति 15 मिनट जुर्माना लगाया जाएगा |

26. यदि कोई वाहन किसी भी दिन उपरोक्त नियम और शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो प्रति वाहन रु० 500/- का जुर्माना लगाया जा सकता है। फर्म द्वारा आपूर्ति की गई टैक्सियों का नियमित रूप से नामित अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और अगर किसी भी स्थिति में वाहन द्वारा दी गयी शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है अथवा ऐसा कोई विषय उपयोगकर्ताओं या निरीक्षण अधिकारी द्वारा नोटिस में लाया जाता है, तो प्रत्येक चूक पर रु० 500 /- का जुर्माना लगाया जाएगा |

27. यदि सफल निविदाकर्ता, निविदा को वापिस लेता है या दरों को अधिसूचित करने पर निविदा स्वीकार करने से इंकार करता है या निविदा के किसी अन्य नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है तो अग्रिम धनराशि (ई.एम.डी.) जब्त कर ली जाएगी ।

28. केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पास किसी भी समय कोई भी कारण बताए बिना अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

29. वाहन की आपूर्ति का मासिक बिल, घंटे और माइलेज के प्रमाण पत्र के साथ (अधिकारियों द्वारा महीने के दौरान की गयी यात्रा किमी. में) प्रस्तुत किया जाएगा | यह बिल अगले महीने के पहले सप्ताह तक उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन , क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में जमा किया जाएगा।

30. बोली लगाने वाले फर्म अपने लेटर हेड में एक शपथ-पत्र, जो यह घोषणा करता हो कि फर्म को किसी भी केंद्रीय सरकारी विभाग / मंत्रालय / PSU / बैंक या राज्य सरकार आदि द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, को बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं ।

31. एजेंसी द्वारा उपलब्ध करवाए गए ड्राइवर के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। इस संबंध में दस्तावेजी सबूत जैसे कि पुलिस सत्यापन आदि को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

32. आयकर अधिनियम और जी.एस.टी. अधिनियम के तहत टीडीएस की कटौती नियमानुसार की जाएगी।

33. टोल शुल्क और पार्किंग शुल्क का भुगतान फर्म द्वारा किया जाएगा जिसकी प्रतिपूर्ति केवीएस द्वारा आवश्यक बिलों और वाउचर के प्रस्तुत करने पर मासिक बिल के साथ की जाएगी |

34. कार्यालय में ड्यूटी पर आने वाले वाहनों में पर्याप्त ईंधन भरकर कार्यालय भेजने का दायित्व पूरी तरह से फर्म का होगा |

टिपण्णी :- यदि किसी भी कारणवश इस निविदा पत्र/आमंत्रण पत्र में अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतरण में कोई भ्रांति उत्पन्न होती है तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

अनुलग्नक-1

तकनीकी बोली के लिए प्रोफोर्मा

क्र. सं.	विवरण	सूचना / आवश्यक दस्तावेज
1.	फर्म / कंपनी / एजेंसी का नाम	
2.	पूरा पता और टेलीफोन नंबर	
3.	गैराज का स्थान टेलीफोन नं. और पता	
4.	Rs. 5000/ - की EMD (डीडी नंबर, तिथि और राशि आदि का उल्लेख)	
5.	बैलेंस शीट और चार्टेड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र के रूप में पिछले 03 वर्षों के लिए फर्म का वार्षिक कारोबार (प्रमाण के साथ)।	पिछले 3 वर्षों के लिए बैलेंस शीट और सीए प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न की जानी हैं।
6.	फर्म के पास सरकारी / अर्ध सरकारी अनुभाग / स्वायत्त निकायों में वाहन / टैक्सी प्रदान करने के लिए दौरे और यात्रा व्यवसाय में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	अनुभव प्रमाण पत्र और पुरस्कार पत्र की प्रतियां संलग्न की जानी हैं।
7.	फर्म के पास संबंधित प्रकार (पेट्रोल / डीजल) के अर्थात मारुती सियाज़, डिजायर, अमेज, हौंडा सिटी, हुंडई वेरना अथवा इसके समकक्ष / इनोवा, एक्सयूवी -500, स्कार्पियो, टाटा हेक्सा या इसके समतुल्य वाहन होने चाहिए तथा वाहन का पंजीकरण 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए |	आर.सी. की प्रतियों की प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए, जिसके लिए फर्म आवेदन करना चाहती है।
8.	विभागों / मंत्रालयों और अन्य संगठनों के नाम और पता जहां वर्तमान में **टैक्सी** नियमित / मासिक आधार पर लगे हुए हैं	अनुबंध पत्रों की स्वप्रमाणित विधिवत मुद्रांकित प्रतियों को संलग्न करें।
9.	जीएसटी नं.तथा और पैन नं की प्रतिलिपि (प्रमाण के साथ)	जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र और पैन कार्ड की संलग्न प्रतियां।
10.	प्रोप्राइटर का नाम, पता और टेलीफोन नंबर	
11.	स्व प्रमाणपत्र की घोषणा कि फर्म को किसी केंद्रीय मंत्रालय / राज्य सरकार/ विभाग, PSU या बैंकों आदि द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।	बोली लगाने वाले फर्म का उसके लेटर हेड में दिया गया शपथ पत्र संलग्न है।

(निविदाकर्ता की मुहर के साथ हस्ताक्षर)

अनुलग्नक -2

स्थानीय और बाहरी स्थानो के लिए वाहन किराए पर लेने के लिए वित्तीय बोली के लिए प्रोफार्मा

फर्म का नाम और पता: ....

क्र.सं.	वाहन का विवरण		**(I)** 4 घंटे /40 किमी के लिए स्थानीय यात्रा दर रु० में			**(II)** स्टेशन से बाहर न्यूनतम 225 किमी.यात्रा प्रतिदिन के लिए दर रु० में			**योग [कॉलम (ग) से (ज) तक]**
			दर	अतिरिक्त किमी . के लिए दर	अतिरिक्त घंटे के लिए दर	न्यूनतम 225 किमी.यात्रा प्रति दिन के लिए दर	रात्रि आवास प्रतिदिन की दर	225 किमी. से अधिक यात्रा के लिए अतिरिक्त राशि प्रति किमी.	
(क)	(ख)		(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)
1.	स्टाफ वाहन (मारुती सुजुकी सिआज़, डिजायर , अमेज़, हौंडा सिटी , हुंडई वेरना या इसके समकक्ष)	आधार दर							
		जी.एस.टी. राशि							
2.	मध्यम आकार का वाहन (इन्नोवा , एक्सयूवी -500, स्कार्पियो , टाटा हेक्सा या इसके समकक्ष)	आधार दर							
		जी.एस.टी. राशि							
								कुल योग	

नोट: मैं / हम उपरोक्त सेवा प्रदान करने और बोली दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं। बोली सुरक्षा रु0 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट संख्या ……………………… दिनांक……………………… सलंग्न है।

दिनांक :

(निविदाकर्ता की मुहर के साथ हस्ताक्षर)

अनुलग्नक -3
निविदा स्वीकृति पत्र

दिनांक:………………….

सेवा

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
क्षेत्रीय कार्यालय, सालावाला
हाथीबडकला, देहरादून-248001

विषय : केंद्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सालावाला, हाथीबडकला, देहरादून को किराये के आधार पर टैक्सी सेवाएं प्रदान करने वाली निविदा की शर्तों और नियमों की स्वीकृति संबंधी |

महोदया/महोदय,

1. मैंने / हमने केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की वेबसाइट "https://rodehradun.kvs.gov.in" से उपरोक्त "निविदा / कार्य" के लिए निविदा दस्तावेज, दिए गए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त किये हैं |

2. मैं / हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मैंने / हमने निविदा दस्तावेजों के पूरे नियम और शर्तों को पढ़ा है (जिसमें सभी दस्तावेज जैसे अनुलग्नक, शेड्यूल आदि) जो अनुबंध समझौते का हिस्सा हैं और मैं / हम इसमें निहित नियमो / शर्तों/खण्डों का पालन करेंगे।

3. आपके विभाग / संगठन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शुद्धिपत्र को भी इस स्वीकृति पत्र को जमा करते समय सभी को ध्यान में रखा गया है।

4. मैं/हम बिना किसी शर्त के उपरोक्त निविदा के दस्तावेजों में निहित सभी शर्तों को पूर्णत: स्वीकार करते हैं।

इसके अलावा बिना शर्त यह कि यह पूरी तरह से उपर्युक्त निविदा दस्तावेज की शर्तों को स्वीकार करते हैं।

5. यदि इस निविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है, तो आपका विभाग/संगठन किसी अन्य अधिकार के पक्षपात के बिना या इस निविदा / बोली को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें पूर्ण रूप से अर्जित बयाना राशि जमा करना शामिल है।

भवदीय,

(निविदाकर्ता की मुहर के साथ हस्ताक्षर)